प्रेस नोट

दिनाँक-24.04.2025

थाना जरिया पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाते हुए, उपकरण सहित अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चालाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.04.2025 को थाना जरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त रामू पुत्र श्यामसुन्दर राजपूत को कुड़इया मौजा मे खजूर की झाडिंयों मे बहद ग्राम उमरिया से अवैध शराब बनाते हुये गिरफ्तार किया गया तथा मौके से 45 लीटर कच्ची शराब महुआ व शराब बनाने का उपकरण बरामद किया गया एवं मौके पर 02 कुन्तल (200 kg) लहन को नष्ट किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 62/2025 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त के कब्जे से 45 लीटर नाजाजय कच्ची शराब महुआ, शराब बनाने के उपकरण बरामद होना व मौके पर ही 02 कुन्तल (200 kg) लहन को नष्ट कराया गया।।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त रामू पुत्र श्यामसुन्दर राजपूत निवासी ग्राम उमरिया थाना जरिया हमीरपुर (उम्र करीब 32 वर्ष)

गिरफ्तारी व बरामदी करने वाली टीम –

1. आब0 निरी0 कुलदीप सिंह मय टीम
2. उ0नि0 बालमुकुन्द शुक्ला
3. हे0का0 शिवेन्द्र सिंह
4. का0 कपिल कुमार